अतिआवश्यक / तत्काल

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1289 / 11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 30, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दर्न कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 है० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०– FP/UP/Min/29061/2017

संदर्भः– उ०प्र० शासन का पत्रांक–112 / 81–2–2019–79 / 91, दिनांक 26.12.2019

महोदय,

उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण / आख्या आपने अपने पत्रांक–2966 / मी०क्षे०/ 33, दिनांक 27.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, किन्तु आपके द्वारा उस पर अपनी स्पष्ट संस्तुति न करते हुये मात्र प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट द्वारा प्रेषित सूचना / आख्या को अग्रसारित कर दिया गया है। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुये सूचना / आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित तत्काल लौटती डाक से तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या– 1289 / 11–सी– FP/UP/Min/29061/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. महाप्रबन्धक, नार्दर्न कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र।

पत्रांक 3026 / मी०क्षे०/33, दिनांक दिसम्बर, 31, 2019

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्रांक 2251 / रेनु० / NCL दिनांक 27-12-2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए तीन प्रतियों में सूचना / आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

Acx-2066

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र।

पत्रांक 2338 / 15-117 / दिनांक जनवरी 06 2020।

प्रतिलिपि: महाप्रबन्धक N.C.L., ककरी परियोजना, सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिपरी को जाँच हेतु निर्देशित किया गया है। उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिपरी से सम्पर्क कर जाँच कराते हुए अपनी भी आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एम०पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण

संख्या–पी 112/81–2–2019–79/91

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय पत्र संख्या–1005/11–सी/एफपी/ यूपी/रोड/29061/2017, दिनांक 20–11–2019(संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें,।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में परीक्षणोपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग की शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। अतएव निम्न बिन्दुओं पर आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

(1) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उपरांत ही भारत सरकार प्रेषित किया जायेगा । यदि प्रयोक्ता द्वारा शर्तो का अनुपालन नही किया जाता है, तो नियमानुसार विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जाय।

(2) विषयगत प्रस्ताव में प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित भूमि हस्तांतरण की शर्तो के अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 20–11–2019 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया लीज संबंधी प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधनों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2–मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।

3–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, उ0प्र0 रेनुकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

4–महाप्रबंधक नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना ककरी सोनभद्र।

आज्ञा से,

सामान्य

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

मु0व0स0
26/12/19

E-mail

पत्रांक 2957 / मी0 / 33 दिनांक दिसम्बर 26 2019

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेणुकूट को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्तिजनक बिन्दु की आख्या तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।